

न्यायालय श्रीमान अय्यमहोदय, राजस्व मंडल न्यायलय केम् श्रीपाल

चिपराणी 1557-PBR-15

पुनरीक्षण कर्ता क्र. 245

महेशकुमार आ/ स्क श्री कुजीलाल आयु वयस्क

निवासी ग्राम पिपलिया बाज खो श्रीपाल

पुनरीक्षणकर्ता,

विस्त

बाला प्रसाद आ/ श्री स्क कजीलाल आयु वयस्क

निवासी ग्राम पिपलिया बाज खो तहसील हुजुर

जिला श्रीपाल 80908

रेस्पाडेन्ट

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म090 8- राजस्व संहिता

206  
श्री श्री. शिवारी 1959

अधि. डा. राज

क्र 8/6/15

पुनरीक्षण

=====

पुनरीक्षणकर्ता माननीय न्यायालय के समी निम्न निवेदन करता है:-

अनावेदक / रेस्पाडेन्ट द्वारा वर्ष 2013 -14 में ग्राम पिपलिया

बाज खो तहसील हुजुर जिला श्रीपाल स्थित कृषि जमीन खसरा

नम्बर 132/2, 133/2, 134/2, का सीमांकन हेतु आवेदन पत्र

प्रस्तुत किया गया। जिसपर पुनरीक्षण द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की

गई। श्री अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 01-6-15 को अर्थात्

निक सीमांकन किया गया है। पुनरीक्षण कर्ता की आपत्ति मान्य

करते हुए सीमांकन की कार्यवाही रोक दी गयी थी। जिसे

अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त न 2 श्रीपाल में प्रकरण

क्र 5/अ-12/13-14 से चिन्हित किया दिनांक 30-5-15 को अर्थात्

अर्थात् निक स से सीमांकन किया गया आपत्ति प्रस्तुत करने तक

का कोई अक्सर नहीं दिया गया जिसके विरुद्ध यह रिक्वायरी रिजिजन

माननीय न्यायालय के समी प्रस्तुत है।

8/6/15

अधीक्षक

कार्यालय कमिश्नर  
श्रीपाल सभाग, श्रीपाल



मायूरा कान्ठ

मायू

11/6/15

12/6/15


Handwritten signature at the bottom right.

# न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1557-पीबीआर/15

जिला भोपाल

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
26-3-18	<p>आवेदकपक्ष सूचना उपरांत अनुपस्थित । आवेदक पक्ष द्वारा अनावेदक का सही पता भी प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः प्रकरण आवेदक पक्ष की अनुपस्थिति में तथा अनावेदक का सही पता नहीं दिये जाने के कारण अवेट की जाती है ।</p>	<p> अध्यक्ष</p>